न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2007

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

ग्राम अणेवा के प्रतिनिधीगण

1. सुखदेव पुत्र मूलदान चारण
2. जमनीदेवी पत्नी तेजाराम मेघवाल
3. मनरूपराम पुत्र हकाजी देवासी
4. सवाराम पुत्र वरदाजी देवासी
5. सवाराम पुत्र छतराजी देवासी
6. जोईताराम पुत्र हराजी देवासी
7. ओगडराम पुत्र समाजी माली
8. खीमाराम पुत्र गोमाजी मेघवाल
9. दलाराम पुत्र वजाजी प्रजापत
10. मनरूपराम पुत्र भीमाजी मेघवाल
11. फुआराम पत्रु सगराराम देवासी
12. कूपाराम पुत्र खुमाजी मेघवाल
13. मगाराम पुत्र गोमाजी मेघवाल
14. वेणीदान पुत्र उमरदान चारण
15. शम्भूसिंह पुत्र आईदान चारण
16. कैलाशदान पुत्र गोपालदान चारण
17. किशनदान पुत्र गुमानदान चारण
18. माधुसिंह पुत्र चण्डीदान चारण
19. शैतानसिंह पुत्र हनुदान चारण
20. खरताराम पुत्र हकाजी चौधरी
21. चेलाराम पुत्र केराजी चौधरी
22. जेठाराम पुत्र देवाजी चौधरी
23. धन्नाराम पुत्र केराजी चौधरी

निवासीगण अणेवा तहसील देसूरी

1 ग्राम पंचायत माडपुरा जरिये सरपंच, तहसील देसूरी

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मदनदास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5.4.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ.12 (3)(3)राज./2007/3809 दिनांक 31.07.2007 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ग्राम अणेवा के नागरिक है तथा ग्रामवासियों के हित में यह अपील प्रस्तुत की है। ग्राम अणेवा के खसरा नम्बर 890 गोचर भूमि है, जो समस्त गांव के व्यक्तियों के मवेशीयों के चरने के लिए उपयोग उपभोग में आतीहै। गांव के 2 3 व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को हडपने की नियत से पंचायत से मिलीभगत कर सरपंच की शह पर गोचर की एक बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर दिया तथा उक्त अतिक्रमण के आधार पर सरपंच द्वारा प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.11.2006 को पारित करते हुए उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त एक बीघा भ्झूमि को आबादी में परिवर्तन किए जाने हेतु एवं गोचर को खारिज करने हेतु एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार देसूरी से टिप्पणी प्राप्त कर गोचर को खारिज करते हुए एक बीघा भूमि ग्राम पंचायत के नाम आरक्षित करने के आदेश पारित किए। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर 1–2 व्यक्तियों का 25 वर्षो से अधिक पुराना कब्जा बताते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। गोचर भूमि को मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सरकारी नियम) के नियम 4 से 7 के अनुसार ही किस्म परिवर्तन की जा सकती है, अन्यथा गोचर भूमि की किस्म नहीं बदली जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियमों की पालना किए बिना ही विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। जिस प्रस्ताव के तहत जैर अपील आदेश पारित किया गया है, उस प्रस्ताव को अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत चुनौती दी थी, जो निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित थी। उपरोक्त निगरानी के लम्बित रहने के दौरान ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। जब मूल प्रस्ताव ही निरस्त हो चुका है, तो उस प्रस्ताव के आधार पर पारित आदेश आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव पारित किया है। उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा निगरानी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें आधी अधूरी तामील होते हुए भी निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की है। जैर अपील वादस्थ भूमि बारानी भूमि है। जिस पर वर्षो से कब्जा है तथा मकान बना हुआ है। उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिया गया। उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा पर जिला कलेक्टर पाली द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि पर जोधाराम की पुराना अतिक्रमण था, जिसके प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ पेश किए है। अपीलाण्ट का कथन है कि पंचायत जोधाराम से मिल गई है, जबकि ग्रामवासी अणेवा द्वारा जिला कलेक्टर पाली को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जोधाराम का मकान बाडा बना हुआ है। इससे पुख्ता प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है कि उक्त भूमि पर किसका कब्जा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु जिला कलेक्टर सक्षम है, इसके अतिरिक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के नियमन के भी प्रावधान है। उक्त भूमि पर मौके पर आबादी बसी हुई है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अपीलाण्ट की अपील का मुख्य आधार यह है कि कलेक्टर को किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं हैं, जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.12.2001 के अनुसार जिला कलेक्टर किस्म परिवर्तन हेतु सक्षम है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत माडपुर ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में खसरा नम्बर 890 रकबा 4.04 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार देसूरी से प्रकरण का परीक्षण करवाकर, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी की अनुशंषा के आधार पर जैर अपील आदेश पारित करते हुए वांछित भूमि ग्राम पंचायत माडपुर को आवंटित की। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में चारागाह हेतु दर्ज है, जो निर्विवादित रूप से गोचर के रूप में प्रयुक्त होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गोचर भूमि आवंटन हेतु प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के जिस प्रस्ताव पर जैर अपील आदेश की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस आदेश को न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 09/2007 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2007 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस स्थिति में जैर अपील आदेश आधारहीन पाया जाता है। कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गोचर भूमि के आवंटन आदि के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के अध्याय 2 के नियम 4 से 7 में प्रक्रिया विहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि का आवंटन किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांक/एफ.12 (3)(3)राज./2007/3809 दिनांक 31.07.2007 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली